न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
1015/2011	88,89,91,183B,183 RTA	रोनी	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कैलाशबाई	बनाम	राधेश्याम वगै0

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
2-8-11	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकल किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.08.2011 को पेश हो।	1015 4.8.11
24-8-11	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित वादी के उपस्थित वाद सामील जाद नहीं हुए से इसलिए पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12-9-11 को पेश हो।	
12-9-11	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। अप्रार्थी नं. 5, 6 की ओर से श्री नरसिंह का इश्तहारी ई. का वकालतनामा पेश हुआ। M दीवान एस. के. फिरोजी का स्थानांतरण हो जाने के कारण अभिलेख तलब कण्डोलेंस किया। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 25-10-11 को पेश हो।	
16-11-11	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम करीकेन उपस्थित वादी नं 3,4 वारण्ट इलाम के जवाब में उपस्थित नहीं है उन. उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जावे। वादी नं. 1 व 2 की तलबी हेतु तलबाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 7-12-11 को पेश हो।	
7-12-11	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम करीकेन उपस्थित वादी नं. 1 व 2 की तलबी हेतु तलबाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11-1-12 को पेश हो।	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश

20.8.24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। वकील प्रतिवादी की ओर से प्रा.पत्र 152 CPC का जवाब पेश नहीं हुआ। जवाब प्रा.पत्र बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र 152 CPC दिनांक 17.9.24 को पेश हो।

17.9.24 माननीय पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8.10.24 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

8.10.24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। वास्ते बहस प्रा.पत्र अभिशासक उपस्थित पक्षकारान पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र दिनांक 22.10.24 को पेश हो।

22.10.24 अभिशासक उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC इस आशय का पेश किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.3.2016 को उक्त प्रकरण का निर्णय प्रार्थीया के पक्ष में जारी कर प्रार्थीया को भूमि का खातेदार घोषित कर भूमि को प्रार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया जबकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद में भूमि पर कब्जा दिलाये जाने की भी दिलीप्त मांगी गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री में प्रार्थीया को भूमि पर आधिपत्य दिलाये जाने का आदेश लिखने से रह गया है इस कारण प्रार्थीया निर्णय एवं डिक्री में संशोधन कराने की अधिकारणी है। प्रार्थीया को समुचित न्याय प्राप्ति हेतु निर्णय एवं डिक्री में न्याय हित में संशोधन किया जाकर भूमि पर आधिपत्य दिलाये जाने की दिलीप्त जोड़ा जाना नितान्त आवश्यक है प्रार्थीया का प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाते निर्णय व डिक्री में कब्जे की दिलीप्त जोड़ कर निर्णय व डिक्री को संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उभय अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादिया के वाद पत्र का अवलोकन करते पर वादनी द्वारा तीन अनुरोध मांगे गये है पहला अनुरोध खानदानी अधिकार एवं खानदान घोषित करने का दूसरी रिलीफ यह है डिक्री का कब्जा वादनी को दिलाये जाने की तथा तीसरी रिलीफ लगान का 25 गुना मुआवजा वसूल दिलाना यह का दिलाया जाने मांगा गया था। परन्तु निर्णय दिनांक 15.3.2016 को पारित किया गया। जिसमे वादनी कैलाश बाई को खानदान घोषित किया है कब्जे वाली रिलीफ नही दी गई। वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC निर्णय होने के 3 वर्ष बाद पेश किया गया है धारा 152 मे केवल लिपिकीय एवं गणितीय त्रुटियो को दुरुस्त किया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC को स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाय है पत्रावली फीस झगड़ा होकर वाद नामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)